RERA- Important/ Urgent

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : अ.मु.अ.तृतीय/2017-18/115 दिनांक : 21.6.2017

आदेश

THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT 2016 (RERA) एवं RAJASTHAN GOVERNMENT RULES 01 मई 2017 से प्रभावी हो चुके है। RERA अधिनियम व नियम के प्रावधानों के दृष्टिगत मण्डल की पंजीयन, आवंटन, परियोजना की समयावधि निर्धारण, लागत निर्धारण की प्रकियाओं एवं मण्डल के तत्संबधी नियमों व प्रपत्रों के प्रारूपों में व्यापक बदलाव/संशोधन किया जाना आवश्यक है।

आवास संबंधी समस्त नवीन परियोजनाओं के साथ-साथ वर्तमान में चल रही परियोजनाओं जोकि RAJASTHAN REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) RULES 2017 के **नियम 4(5) के स्पष्टीकरण (Explanation)** में दिये गये बिन्दुओं के अन्तर्गत **पंजीयन से** Excludes नही किये गये है ऐसे समस्त परियोजनाओं को भी **31 जुलाई 2017** तक RERA Act 2016 व Rules 2017 के तहत पंजीयत करवाया जाना अनिवार्य है।

अतः उक्त कार्य की समयबद्व पूर्णता हेतु विभिन्न अधिकारियों को निम्नानुसार दायित्वधीन किया जाता है :-

क्र. सं.	संबधित प्रकोष्ठ	संबधित प्रभारी	दायित्व	कार्य/दायित्व पूर्णता की तिथि
1	समस्त खण्ड कार्यालय	आवासीय अभियंता	1) RERA ACT 2016 के **अनुच्छेद 3 व 4** तथा Rules 2017 **नियम 3, 4, परियोजना पंजीयन हेतु आवेदन पत्र** व **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथ पत्र** के दृष्टिगत परियोजनावार समस्त आवश्यक सूचनाऐं, स्वीकृतियॉ, स्वीकृत ड्राईंग डिजाईन व प्रपत्र इत्यादि तैयार करके रखना। 2) परियोजना के पंजीयन शुल्क की वित्तीय स्वीकृतियॉ एवं बजट आवंटन जारी करवाना। 3) RERA के बाबत् मण्डल से कन्सलटेन्ट नियुक्त होने पर परियोजनाओं को पंजीकृत करवाने की कार्यवाही पूर्ण करना।	03 जुलाई 17 15 जुलाई 17 25 जुलाई 17
2	समस्त वृत्त कार्यालय	उप आवासन आयुक्त	1) RERA ACT 2016 व Rules 2017 के प्रावधानों के दृष्टिगत चल रही परियोजनाओं में पंजीयन योग्य परियोजनाओं का निर्धारण करना व पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों एवं सूचनाओं को सूचीबद्व कर खण्ड कार्यालयों को अवगत कराना। 2) बिन्दु संख्या 01 में सूचीबद्व किये गये दस्तावेजों एवं सूचनाओं की खण्ड स्तर से परियोजनावार पूर्णता सुनिश्चित करना।	27 जून 17 05 जुलाई 17
3	समस्त जोन /मुख्य	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/	RERA ACT 2016 व Rules 2017 के दृष्टिगत पंजीकृत करवायी जाने वाली परियोजनाओं हेतु खण्ड/वृत्त स्तर पर पूर्ण किये जाने वाले दायित्वों का पर्यवेक्षण कर इनकी समयबद्व पूर्णता	10 जुलाई 17

क्र. स.	संबधित प्रकोष्ठ	संबधित प्रभारी	दायित्व	कार्य / दायित्व पूर्णता की तिथि
	अभियंता कार्यालय	मुख्य अभियंता	सुनिश्चित करना।	
4	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	RERA ACT 2016 व Rules 2017 के प्रावधानों के दृष्टिगत मण्डल को पंजीयन, आवंटन, परियोजना की समयावधि निर्धारण, लागत निर्धारण की प्रकियाओं एवं मण्डल के तत्संबधी नियमों व प्रपत्रों के प्रारूपों में किये जाने वाले आवश्यक संशोधनों को प्रस्तावित कर सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाना।	01 जुलाई 17
5	वित्त प्रकोष्ठ	वित्तीय सलाहकार	1) RERA ACT 2016 व Rules 2017 के प्रावधानों के दृष्टिगत परियोजनावार नवीन बैंक खाता खोलने व संचालित करने की प्रकिया प्रस्तावित करना व सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाना। 2) परियोजना के पंजीयन से पूर्व लागत निर्धारण की प्रकिया प्रस्तावित कर सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाना।	05 जुलाई 2017
6	विधि प्रकोष्ठ	निदेशक विधि	RERA ACT 2016 व Rules 2017 के प्रावधानों के दृष्टिगत मण्डल व राज्य सरकार के स्तर से नियमों, प्रकियाओं व विभिन्न विधिक दस्तावेजों में आवश्यक परिवर्तन / संशोधनों के बाबत् विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करना।	05 जुलाई 2017

RERA ACT 2016 व Rules 2017 मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड कर दिये गये है एवं समस्त अधिकारियों के ई–मेल पर भी प्रेषित किये जा चुके है।

इन कार्यो के निष्पादन हेतु सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण मुख्य अभियन्ता मुख्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेगे एवं कार्यालय आदेश संख्या सी.ई.(मुख्यालय)/224 दिनांक 14.06.2017 द्वारा गठित समिति पंजीयन के कार्य के मोनिटरिंग कर प्रगति से सप्ताह में दो बार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में सभी सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक आयोजित कर अवगत करायगी।

(डॉ. के.बी. गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता–प्रथम / द्वितीय / (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर / जोधपुर।
8. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त ....
9. समस्त आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड..........................
10. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
21/6/17